# झारखण्ड विधान सभा

## अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
एकादश (बजट)–सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक– 01 चैत्र, 1945 [श0] ........................................को 22 मार्च, 2023 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्र0सं0 | विभागों को भेजी गई सा0 सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| "क"225 | अ0सू0–25 | श्री प्रदीप यादव | आर्थिक रणनीति लागू करना | योजना एवं विकास विभाग | 28.02.2023 |

नोटः– "क"225 दिनांक–20.03.2023 को सदन द्वारा दिनांक–22.03.23 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक–22 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/2020–.......1404......../वि0स0, राँची, दिनांकः– 20/03/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/2023
(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

क्र0 फ0 सं0

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/2020–.....1404...../वि0स0, राँची, दिनांकः– 20/03/23

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–02/2020–.....1404...../वि0स0, राँची, दिनांकः– 20/03/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा/J.V. STV शाखा/ बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

संलग्नी:–

20/03/23

सत्यमेव जयते

# पंचम्
# झारखण्ड विधान–सभा

## एकादश (बजट) सत्र
## अल्प–सूचित प्रश्न

## वर्ग–01

बुधवार, दिनांक– 01 चैत्र, 1945 (श0) / 22 मार्च, 2023 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या–01 (एक)

(1) योजना एवं विकास विभाग– 01

कुल योग– 01

श्री प्रदीप यादव, क्या मंत्री योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

| क्र0सं0 | | प्रभारी मंत्री |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रू0 है वहीं झारखण्ड का प्रति व्यक्ति आय मात्र 85.485 रू0 है; | अंशतः स्वीकारात्मक।<br>वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य (Current Price) पर 1,72,000/- (द्वितीय अग्रिम आकलन) है। झारखण्ड की प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2022-23 में 86,060/- रूपये का आकलन किया गया है।<br>जबकि स्थिर मूल्य (2011-12) पर देश की प्रति व्यक्ति आय (2022-23) में 98.118 रूपये और स्थिर मूल्य (2011-12) पर झारखण्ड की प्रति व्यक्ति आय (2022-23) में 58,819 रूपये है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य में 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार गरीबी का अनुपात 46.16 है जिसमें ग्रामीण 48.27% तथा शहरी 44.24% है; | देश एवं राज्य में बहुआयामी गरीबी का आकलन NFHS (National Family Health Survey) के आँकड़ों के अनुसार होता है। वर्ष 2021-22 के राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में गरीबी का आँकड़ा नीति आयोग के Baseline रिपोर्ट के आधार पर था जिसमें राज्य की कुल गरीबी NFHS के चौथे राउण्ड के सर्वे (2015-16) के आधार पर 42.16% आंकी गई थी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में यह गरीबी 50.93% और शहरी क्षेत्र में 15.26% थी।<br>NFHS के पाँचवें राउण्ड (2019-21) के आँकड़े के आजाने के बाद राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में गरीबी का आकलन इस आँकड़े के आधार पर किया गया, जिसके अनुसार राज्य में कुल गरीबी 36.6% है। ग्रामीण क्षेत्र में यह 42.2% एवं शहरी क्षेत्र में 11.1% है। इस तरह राज्य की गरीबी में पिछले 05 वर्षो में 13.2% की कमी आयी है। ग्रामीण क्षेत्र में यह कर्मी 17.1% एवं शहरी में 27.3% की रही है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने हेतु ठोस आर्थिक रणनीति लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ? | राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने हेतु वार्षिक बजट 2023-24 में ठोस आर्थिक रणनीति के तहत् ग्रामीण प्रक्षेत्रों में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।<br>इसके तहत् कृषि, ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 4 हजार 6 सौ 27 करोड रूपये (4627.00 करोड़) 4 हजार 2 सौ 93 करोड़ 57 लाख रूपये (4293.57 करोड़) एवं 8 हजार 1 सौ 66 करोड़ रूपये (8166.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।<br>आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1 लाख 16 हजार 4 सौ 18 करोड़ रूपये (1,16,418.00 करोड़) के बजट में 39 हजार 7 सौ 36 करोड़ 11 लाख रूपये (39,736.11 करोड़), (34.13%) आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए प्रावधानिक किया गया है जिसका सीधा सम्बन्ध आम जनता की आय वृद्धि से है। |

नोटः- "क"225 दिनांक- 20/03/2023 को सदन द्वारा दिनांक-22/03/2023 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक 22/03/2023 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

# झारखण्ड विधान सभा

## अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,बुधवार, दिनांक- 01, चैत्र,1945 (श0) / 22, मार्च, 2023 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

| क0 सं0 | विभागों को भेजी गई सां0सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| "क"-37. | अ0सू0-09 | श्री सरयू राय | ओभरलोडिंग रोकना। | परिवहन | 25.02.23 |
| 251. | अ0सू0-30 | सुश्री अम्बा प्रसाद | सड़क सुविधा उपलब्ध कराना। | ग्रामीण कार्य | 16.03.23 |
| 252. | अ0सू0-27 | श्री मनीष जायसवाल | निर्णय लेना। | ग्रामीण कार्य | 14.03.23 |
| 253. | अ0सू0-29 | श्री सरयू राय | जाँच कराना। | नगर विकास एवं आवास | 16.03.23 |
| 254. | अ0सू0-20 | श्री अनन्त कुमार ओझा | अनुशासनात्मक कार्रवाई। | पंचायती राज | 01.03.23 |
| 255. | अ0सू0-22 | श्री प्रदीप यादव | मामलों का त्वरित निष्पादन। | परिवहन | 06.03.23 |
| 256. | अ0सू0-25 | श्री सुदेश कुमार महतो | प्रखण्डों का सृजन। | ग्रामीण विकास | 06.03.23 |
| 257. | अ0सू0-17 | श्री बिरंची नारायण | सुगम यातायात बहाल करना। | नगर विकास एवं आवास | 27.02.23 |
| 258. | अ0सू0-28 | श्री निरल पुरती | विकास योजनाओं पर व्यय। | पंचायती राज | 16.03.23 |
| 259. | अ0सू0-24 | श्री प्रदीप यादव | दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई। | नगर विकास एवं आवास | 06.03.23 |

नोट :- "क"-37 अ0सू0-09,दिनांक-15.03.2023 को दिनांक-22.03.2023 के लिए सदन से स्थगित।

रॉंची,
दिनांक- 22 मार्च,2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-1345/वि0स0,रॉंची,दिनांक- 18/03/23
प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 18.03.23
(रवि शंकर प्रसाद)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-1345/वि0स0,रॉंची,दिनांक- 18/03/23
प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 18.03.23
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-1345/वि0स0,रॉंची,दिनांक- 18/03/23
प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 18.03.23
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

अरूण

## ओभरलोडिंग रोकना ।

उत्तर मुद्रित "क" 37. श्री सरयू राय-क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खान निदेशक, झारखण्ड के आदेश संख्या-74/2021/63/M, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 द्वारा आम्रपाली खदान में शिवपुर रेल साईडिंग तक कोयला पविहन में अनियमितता की जाँच हेतु त्रि-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा सदस्य थे;

(2) क्या यह बात सही है कि समिति के जाँच प्रतिवेदन की अनुशंसा की कंडिका-10 के अनुसार Overloading of vehicles moving to Shivpur siding should be immediately stopped within 7 days:

(3) क्या यह बात सही है कि साल भर से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आम्रपाली खदान से शिवपुर रेलवे साईडिंग के बीच ओवरलोडिंग रोकने तथा ओवरलोडिंग के कारणों को दूर करने की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कोयला चोरी को बढ़ावा मिला है और सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि ओवरलोडिंग रोकने की कार्रवाई नही करने का क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई हुई है ?

**प्रभारी मंत्री**--(1) निदेशक खान, झारखण्ड, राँची को संबोधित जिला खनन पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक-201, दिनांक 27 फरवरी, 2023 के आलोक में उत्तर स्वीकारात्मक ।

(2) निदेशक खान, झारखण्ड, राँची को संबोधित जिला खनन पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक-201 दिनांक 27 फरवरी, 2023 के आलोक में उत्तर स्वीकारात्मक ।

(3) जिला खनन पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक-201 दिनांक 27 फरवरी, 2023 के द्वारा संसूचित प्रतिवेदन अनुसार समिति द्वारा जांचोंपरान्त अनुशंसित सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्यालय पत्रांक-488, दिनांक 17 मई, 2022 द्वारा परियोजना पदाधिकारी, आम्रपाली परियोजना सी०सी०एल० एवं महाप्रबंधक, मगध-आम्रपाली एरिया को उपायुक्त, चतरा के माध्यम से कार्यालय पत्रांक-499, दिनांक 21 मई, 2022 द्वारा पत्र प्रेषित है । उक्त के आलोक में परियोजना पदाधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक-330, दिनांक 25 मई, 2022 के द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है । ओवरलोडिंग के संदर्भ में प्रतिवेदित है कि आम्रपाली परियोजना से ट्रकों का वजन भारत सरकार परिवहन मंत्रालय के मानक द्वारा निर्धारित किया गया है । उसका चालान भी निर्गत किया जाता है एवं समय-समय पर सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जाता है ।

आम्रपाली कोयला परियोजना क्षेत्र में कोलियरी प्रबंधन द्वारा किये जा रहे अनुपालन की औचक जाँच दिनांक 25 जुलाई, 2022 को अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया की अध्यक्षता में जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा की गई जिसमें ओवर लोडिंग का मामला नही पाया गया है ।

कोलियरी क्षेत्र से कोयला लदे ट्रकों का ओवरलोडिंग की नियमित रूप से जांच जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा एवं जिला खनन पदाधिकारी, चतरा द्वारा समय-समय पर की जाती है ।

जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा से प्राप्त पत्र ज्ञापांक-171, दिनांक 24 अगस्त, 2021 पत्र ज्ञापांक-162, दिनांक 17 अगस्त, 2021, पत्र ज्ञापांक-06 दिनांक 6 जनवरी, 2022, पत्रांक-35, दिनांक 9 फरवरी, 2022 एवं पत्रांक-112, दिनांक 17 जून, 2022 में प्रतिवेदित किया गया है कि क्रमशः कुल 9 वाहन, 11 वाहन, 17 वाहन एवं 19 वाहनों की जाँच की गई एवं दण्डात्मक कार्रवाई की गई ।

(4) विशिष्ट एवं प्रमाणित आरोप पाये जाने पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

---------

नोटः-"क" दिनांक 15 मार्च 2023 को सदन से दिनांक 22 मार्च 2023 के लिए स्थागित ।

(251)

दिनांक–22.03.2023 को मा0स0वि0स0 सुश्री अम्बा प्रसाद द्वारा सदन में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

| | प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता |
|---|---|---|
| | मा0स0वि0स0 सुश्री अम्बा प्रसाद | श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग |
| | प्रश्न | उत्तर |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में कई ग्रामीण सड़कों को ट्रांसपोर्टिंग कार्य के लिए इस्तेमाल करने हेतु कंपनियों को विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण सड़कों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टिंग हेतु किया जा रहा है ; | अस्वीकारात्मक।<br>विभाग द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि ग्रामीण सड़क को कंपनियों को ट्रांसपोर्टिंग हेतु हस्तांतरित कर दिए जाने पर ग्रामीणों के आवागमन हेतु किसी प्रकार का विकल्प का प्रावधान नहीं किया जाता है जिसके कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ; | अस्वीकारात्मक।<br>विभाग में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण पथ से किए जाने वाले ट्रांसपोर्टिंग को बंद करवाने एवं ग्रामीणों के लिए अन्य सड़क सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–357 / 23 ग्रा0का0वि0 964 राँची / दिनांक– 21–03–2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1256 वि0स0, दिनांक–16.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–357 / 23 ग्रा0का0वि0 964 राँची / दिनांक– 21–03–2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–357 / 23 ग्रा0का0वि0 964 राँची / दिनांक– 21–03–2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

252

दिनांक–22.03.2023 को मा0स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल द्वारा सदन में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

| | प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता |
|---|---|---|
| | मा0स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल | श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग |
| | प्रश्न | उत्तर |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य अभियंता की गिरफ्तारी के कारण सरकार द्वारा सभी ग्रामीण सड़कों व मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत पुलों के निर्माण की निविदाएँ रद्द कर दी गई हैं, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति को है ; | आंशिक स्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत पुल निर्माण की निविदाएँ रद्द नहीं की गयी हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुछ योजनाओं की निविदा तकनीकी कारण से (परिमाण विपत्र पर ससमय अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण) रद्द की गयी हैं। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य में कोरानाकाल के कारण पिछले 02 वित्तीय वर्षो से हजारीबाग सहित सभी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों एवं पुलों की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी गई थी, जिसके कारण राज्य की जनता को काफी परेशानी हो रही है ; | अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में (हजारीबाग जिला सहित) मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत क्रमशः 06 एवं 85 योजनाओं की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गयी है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में (हजारीबाग जिला सहित) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत क्रमशः 90 (लं0–360.501 कि0मी0) एवं 401 (लं0–1200.079 कि0मी0) योजनाओं की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गयी है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित मामले में चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व निर्णय लेने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ? | मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची के पदस्थापन के फलस्वरूप विभागीय कार्यो का ससमय एवं सुचारू रूप से निष्पादन हो रहा है। |

झारखण्ड सरकार

**ग्रामीण कार्य विभाग**

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–352/23 ग्रा0का0वि0 944 राँची/दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1170 वि0स0, दिनांक–14.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–352/23 ग्रा0का0वि0 944 राँची/दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–352/23 ग्रा0का0वि0 944 राँची/दिनांक–20-03-2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(253)

## श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–29 का उत्तरः–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा तैयार किये गये हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची के मास्टर प्लान में विद्यालय, पार्क, स्वीमिंग पुल, रोस्टोरेंट, मार्केट आदि सुविधाएँ देने का प्रावधान था, परंतु ये सुविधाएँ नहीं दी गई; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>बिहार राज्य आवास बोर्ड के वर्ष 1990 के प्लान में विद्यालय, पार्क, मार्केट दर्शाया गया है, परन्तु स्वीमिंग पुल, रोस्टोरेंट नहीं दर्शाया गया है।<br>हरमू हाउसिंग कॉलोनी में पार्क एवं मार्केट निर्मित है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि 2008 में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड ने नक्शा बदलकर कॉलोनी के सड़कों की चौड़ाई कम कर दिया तथा नाली, स्लैब, सिवरेज–सिस्टम, वृक्षयुक्त जगहों एवं खाली स्थानों का प्लॉटिंग कर प्रभावशाली लोगों को बंदोबस्त कर दिया जिसके कारण कॉलोनी में यातायात एवं जल–मल निकासी की समस्या पैदा हो गई है और जन–सुविधाओं का अभाव हो गया है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>बिहार राज्य आवास बोर्ड के वर्ष 1990 के प्लान में सड़कों की जो चौड़ाई दर्शायी गयी है, वही चौड़ाई झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के वर्ष 2008 के प्लान में दर्शायी गयी है।<br>उक्त प्लान में किसी भी जगह नाली, स्लैब, सिवरेज–सिस्टम आदि हेतु चिन्हित जगह पर प्लॉटिंग नहीं किया गया है।<br>वर्ष 2008 के नक्शे में भूमि के प्रकृति में किये गये बदलाव की विवरणी संलग्न है।<br>(अनु०–1) |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार हरमू हाउसिंग कॉलोनी के मास्टर प्लान, में छेड़छाड़ करने के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा एक उच्चस्तरीय समिति से जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों? | उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

**झारखण्ड सरकार**
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

ज्ञापांक–7 / वि०स०(अ०सू०)–05 / 2023 / न०वि०आ० –1112 दिनांक 21/03/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–1257 दि०–16.03.2023 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/23

सरकार के अवर सचिव।

| क्र0सं0 | वर्ष 1990 | वर्ष 2008 |
|---|---|---|
| 1 | C.U (Common Utility) | Petrol Pump |
| 2 | C.U (Common Utility) | Plot No-2 (Shopping) |
| 3 | F.D (Future Development) | Plot No No-MP1 & MP1 |
| 4 | F.D (Future Development) | LIG Plot no-L-1 |
| 5 | Temple | C.U (Common Utility), F.D (Future Development) |
| 6 | Vegetable Market & FD | Commercial Plot No-4 |
| 7 | Tank & FD & Road | Residential Plot No-16 |
| 8 | Market | Commercial Plot No-5 |
| 9 | Hotel cum shop & Cinema | Residential Plot No-6 |
| 10 | School | Circle Office (JSHB) |
| 11 | P.S (Police Station) | F.D (Future Development) |
| 12 | Shop + Office | Commercial Plot No-7 |
| 13 | Plot | F.D (Future Development) |
| 14 | LIG House | F.D (Future Development) |
| 15 | FD | Residential Plot No-12 |
| 16 | FD | Residential Plot No-9 |
| 17 | FD | Residential Plot No-10(A) |
| 18 | FD | Residential Plot No-10(B) |
| 19 | S. Tank | F.D (Future Development) |

254

## श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –20 का उत्तर ।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. | 2. |
| (1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला सहित राज्य के सभी जिले में ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु 15वें वित्त आयोग से टाईड और अनटाईड फण्ड से कुल 187.73 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए थे जिसके एवज में मात्र 35 प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 (फरवरी 2023 तक) खर्च किए गए, जिस कारण राज्य के पंचायती राज संस्था में लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता परिलक्षित होता है; | अस्वीकारात्मक।<br>15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 से अब तक त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 2938.00 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है जिसके विरूद्ध 2445.805 करोड़ रूपये (83 प्रतिशत) का व्यय त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा किया गया है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खण्ड में वर्णित फण्ड से अब तक ग्रामीण विकास योजना की 65 प्रतिशत राशि खर्च की जाने वाले योजनाओं की स्वीकृति जिला के संदर्भित विभाग द्वारा दी जा चुकी है; | अस्वीकारात्मक।<br>15वें वित्त आयोग अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि से योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा किया जाता है। |
| (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित राशि खर्च नहीं किये जाने पर साहेबगंज सहित राज्य के सभी जिले के संदर्भित विभाग के जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |


झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com


ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–21/2023–514/, राँची, दिनांकः–4.3.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 792 दिनांक 01.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.3.23
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–21/2023–514/, राँची, दिनांकः–4.3.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

4.3.23
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–21/2023–514/, राँची, दिनांकः–4.3.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4.3.23
सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/02.03.2023

255

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–22 का उत्तर :–

| | प्रश्नकर्त्ता<br>श्री प्रदीप यादव,<br>माननीय स०वि०स० | उत्तरदाता<br>श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री,<br>परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा–161–(2) में हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के मृतक तथा गंभीर रूप से घायल को दिये जाने वाला मुआवजा क्रमशः 2 लाख एवं 50 हजार निर्धारित है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि मृतक या घायल के आश्रितों को मुआवजा ट्रस्ट की ओर से जेनरल इंश्योरेंस काउन्सिल की स्वीकृति के बाद मिलता है; | स्वीकारात्मक।<br>टक्कर मार कर भागना (हिट एण्ड रन) मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 के अंतर्गत गठित है। उक्त समिति के सदस्य सचिव सामान्य बीमा परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी सदस्य सचिव नामित होते हैं। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिलों में मुआवजे के दर्जनों मामले लंबित पड़े है; | हिट एण्ड रन सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान संबंधी मामलों का निष्पादन जिले में उपायुक्त–सह–दावा निपटान आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। तदालोक में हिट एण्ड रन मामलें में मुआवजा के दावा का त्वरित निष्पादन एवं तत्संबंधी निपटान प्रक्रिया को पंचायत, प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं सभी कार्यालय स्तर पर समुचित प्रचार–प्रसार हेतु संबंधित उपायुक्त को विभागीय पत्रांक–389, दिनांक–13.09.2022 द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गये हैं। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उपरोक्त मामलों का त्वरित निष्पादन करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों? | राज्य सरकार हिट एण्ड रन (टक्कर मार कर भागना) मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को अनुमान्य क्षति पूर्ति राशि के भुगतान संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु कृत संकल्पित है। तदालोक में सभी उपायुक्त–सह–दावा निपटान आयुक्त को समयबद्ध तरीके से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु पूर्व में प्रदत्त निदेश के आलोक में आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएँगे। |

20/03/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०प्र०)–27 / 2023 305 /राँची,दिनांक 20.03.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1042, दिनांक–06.03.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०प्र०)–27 / 2023 305 /राँची,दिनांक 20.03.2023

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

256

## श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–25 की सूचना।

| अल्प सूचित प्रश्न | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि दिनांक–08 जनवरी, 2013 को झारखण्ड मंत्रिपरिषद् द्वारा 23 नए प्रखण्डों के सृजन पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि नए प्रखण्डों के सृजन सूची में चतरा जिला के जोरी, पूर्वी सिंहभूम के कोवाली, रामगढ़ के चैनगढ़ा, धनबाद के मैथन, चिरकुण्डा, पुटकी, राजगंज, राँची के पिठोरिया, तमाड़ पूर्वी, सोनाहातु पूर्वी, जोन्हा, सरायकेला खरसावां के सिन्नी, पलामू के रामगढ़, प0 सिंहभूम के टोकलो, बोकारो के पिंड्राजोरा, अमलाबाद, माराफारी, बरमसिया, खैराचातर, महुआटांड़, उपरघाट, खूँटी के बीरबांकी एवं लातेहार जिले के मुरपा प्रखण्ड शामिल है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी 23 प्रखण्डों के सृजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | मंत्रिपरिषद् की दिनांक–08.01.2013 की बैठक में मद संख्या–4 में "अन्यान्य" के रूप में नये प्रखण्डों के सृजन पर दी गई सैद्धान्तिक सहमति को मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के पत्रांक–42 दिनांक–01.02.2013 से संसूचनानुसार परामर्शी परिषद् की दिनांक–31.01.2013 की सम्पन्न बैठक में मद संख्या–08 में "अन्यान्य" के रूप में विभिन्न नये प्रखण्डों के सृजन पर दी गई सहमति के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। |

## झारखण्ड सरकार
## ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–62 / 2022 / ग्रा0वि0 1189, राँची, दिनांक– 13-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–1065, दिनांक–06.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–62 / 2022 / ग्रा0वि0 1189, राँची, दिनांक– 13-03-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–62 / 2022 / ग्रा0वि0 1189, राँची, दिनांक– 13-03-2023

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

257

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि चास, बोकारो, राँची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, डालटनगंज, हजारीबाग सहित राज्य के सभी शहरी इलाकों में सड़क किनारे फूटपाथ दुकानदारों की भारी भीड़ है, जो किसी तरीके से अपना और अपने परिवार की रोजी–रोटी चलाने हेतु फुटपाथ में दुकान लगाकर अपना जीवकोपार्जन करने को विवश है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इसके कारण आम जनमानस का सुगम आवागमन काफी कष्टकारी हो गया है, जिस कारण नगरपालिकाएँ एवं ट्रैफिक पुलिस अतिक्रमण के नाम पर हमेशा इनको हटाने और उजाड़ने का काम करती है, जबकि सट्रीट वेंडर्स कानून के तहत इनको संरक्षित करते हुए व्यवस्थित करने का प्रावधान है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि पथ विक्रेता (आजीविका सरंक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम, 7, 2014) के अनुपालन में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका सरंक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 तथा 'झारखण्ड पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं विनियमन योजना (स्कीम), 2017' अधिसूचित की गई है, जिसके तहत् पथ विक्रेताओं हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं विकसित मार्केट के दुकानों की आवंटन की स्थिति/प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।<br>राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में फूटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित किए जाने हेतु वेंडिग जोन का निर्माण किया गया है/किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों में चबुतरों का निर्माण करते हुए फूटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित किया गया है/स्वीकृत वेंडिग जोन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।<br>साथ ही, चिन्हित पथ विक्रेताओं का उन्नमुखीकरण के निमित्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं आर्थिक समृद्धि हेतु किफायती दर पर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित कर इनके रोजी–रोटी की चिंता करते हुए इनका समुचित पुनर्वास करवाते हुए शहरी इलाकों में सुगम यातायात बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05/वि०मं०प्र०(अल्पसूचित)–04/2023 न०वि०आ० 1104 राँची, दिनांक– 21/03/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–651/वि०स० दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23
सरकार के अवर सचिव।

# श्री निरल पूरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर ।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. | 2. |
| (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिला एवं पश्चिमी सिंहभूम के प्रखण्ड स्तरीय कार्यालय में विभिन्न मदों की राशि (BRGF, 13 फाइनेंस, 14 फाइनेंस एवं अन्य अनुपयोगी जमा है); | सभी जिलों से बी0आर0जी0एफ0, 13वें वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग मद में अवशेष राशि के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवंटित राशि को ससमय विकास मद का कार्य करने के पश्चात् शेष जमा है; | उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |
| (3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विभिन्न जिला एवं पश्चिमी सिंहभूम के प्रखण्ड स्तरीय कार्यालय में शेष जमा राशि का सदुपयोग करते हुए पुनः विकास योजनाओं पर व्यय करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों? | भारत सरकार द्वारा बी0आर0जी0एफ0 एवं 13वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत अवशेष राशि को वापस करने का निदेश प्राप्त है एवं इस राशि का भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में योजना में व्यय अब अनुमान्य नहीं है।<br>14वें वित्त आयोग की राशि से 31 मार्च 2023 तक योजना क्रियान्वयन अनुमान्य है। संबंधित संस्थाओं को 14वें वित्त की अवशेष राशि से योजना लेने का निर्देश पूर्व में ही विभागीय पत्रांक 1248 दिनांक 29.06.2022 द्वारा निर्गत है। |

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–33 / 2023–686 /, राँची, दिनांकः–21·03·2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1258 दिनांक 16.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–33 / 2023–686 /, राँची, दिनांकः–21·03·2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–33 / 2023–686 /, राँची, दिनांकः–21·03·2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21-3-23

सरकार के अवर सचिव ।

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–24 का उत्तरः–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि स्मार्ट बिन एवं स्मार्ट सफाई पर विगत दो वर्षों में राँची राजधानी में 28 करोड़ रू० खर्च किया गया है; | अस्वीकारात्मक।<br>ई० निविदा के माध्यम से मेसर्स जोन्टा इन्फ्राटेक का चयन सेकेण्डरी वेस्ट कलेक्शन हेतु किया गया है। RFP के अनुसार निगम में 222 स्मार्ट डस्टबीन का अधिष्ठापन 103 Location पर किया गया है एवं 06 Specialized Crane का क्रय मेसर्स जोन्टा इन्फ्राटेक के द्वारा किया गया है जिसमें से Capex Expenditure के अन्तर्गत कुल 9,25,72,181/– Rs. Capex राशि का भुगतान 172 डस्टबीन 02 Specialized Crane के लिए किया गया है।<br>Secondary Waste को मोराबादी एम०टी०एस०, नागाबाबा–एम०टी०एस०, हरमू–एम०टी०एस०, खेलगांव–एम०टी०एस०, कांटाटोली–एम०टी०एस०, जगन्नाथपुर–एम०टी०एस० एवं ट्रैकर स्टैण्ड से Compactor, पोकलेन, जेसीबी एवं हाईवा के द्वारा प्रतिदिन 350 से 400 टन Secondary Waste झीरी डम्पिंग यार्ड में डम्प करने का कार्य किया जाता है।<br>माह जुलाई से दिसम्बर 2022 तक Opex Expenditure के अन्तर्गत कुल 4,06,67,876/– Rs. Opex राशि का भुगतान Secondary Waste Collection कार्य हेतु किया जा चुका है।<br>Capex and Opex मद में अब तक कुल राशि 13,32,40,057/–रू० का भुगतान किया जा चुका है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि स्मार्ट बिन पर सेंसर न लगने के कारण ऑनलाईन कचरा की व्यवस्था ध्वस्त है एवं कचरा उठाव कम्पनी जोन्टा इन्फ्रा के पास समुचित वाहन न होने के कारण कचरा उठाव सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>RFP के अनुसार 06 Specialized Crane के द्वारा निगम क्षेत्रान्तर्गत 222 बिन का प्रतिदिन सफाई किया जाता है। निगम के द्वारा Sensor अधिष्ठापन हेतु किये गये पत्राचार के क्रम में M/s Zonta Infratech के द्वारा सूचित किया गया है कि तकनीकी त्रुटि उत्पन्न होने के कारण अधिष्ठापन में विलम्ब हो रही है। इस निमित्त प्रत्येक दो Location पर एक Bin Guard की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिनके द्वारा Smart Bin के Full होने की सूचना देने पर सफाई करवाई जाती है।<br>M/s Zonta Infratech को Sensor का भुगतान नहीं किया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | क्या यह बात सही है कि प्रत्येक दिन 4 लाख रू० का खर्च का अपव्यय हो रहा है; | अस्वीकारात्मक।<br>झीरी डम्पिंग यार्ड में Secondary Waste शिफ्ट करने हेतु RFP में वर्णित दर 665 रू० प्रति टन के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। प्रतिदिन 350 से 400 टन Secondary Waste झीरी डम्पिंग यार्ड में डम्प करने का कार्य किया जाता है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या इसकी जाँच एक उच्चस्तरीय समिति बनाकर कराने एवं दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

**झारखण्ड सरकार**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

ज्ञापांक–05 / वि०मं०प्र०(अल्पसूचित)–03 / 2023 न०वि०आ० – 1105 दिनांक 21/03/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय का ज्ञाप सं० प्र०–1041 / वि०स० दिनांक–06.03.2023 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/23

सरकार के अवर सचिव।